

उ0प्र0 पुलिस बल में कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हुए पुलिसजनों के आश्रितों को मिलने वाले लाभ का विवरण

1. अनुग्रह धनराशि के रूप में रू0 10,00,000 /—
2. असाधारण पेंशन ।
3. मृतक आश्रित सेवायोजन नियमावली 1974 के अन्तर्गत मृतक के परिवार के किसी एक सदस्य को मृतक आश्रित अन्तर्गत सेवायोजन ।
4. सामूहिक बीमा ।
5. ग्रेच्युटी धनराशि ।
6. जीपीएफ से संबंधित लिंक इन्श्योरेंस का भुगतान ।
7. जीपीएफ से भुगतान ।
8. 300 दिवस उपार्जित अवकाश का नगदीकरण ।
9. दुर्घटना बीमा का भुगतान ।

संज्ञा

संख्या: 3590/उ-पु 6-एस-1198/99

विषय: अमित पाण्डेय,  
विशेष अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश शासन।

पता में,  
पुलिस महाविद्यालय,  
30 नवंबर, लखनऊ।

पुलिस (पुलिस) अनुभाग-6

तथ्यनक : दिनांक 05 दिसम्बर, 2005

विषय: पुलिस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जोखिम पर कार्य के दौरान विशेष नीतिगत प्रदर्शित करने, समय प्रत्युत्पन्न होने पर देय अनुग्रह पत्रादेशों में वृद्धि

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3239 पी / उ-पु-6 90-1714/ 90, दिनांक 6 फरवरी, 1997, शासनादेश संख्या 3566 पी / उ-पु-6 93-1154/ 93, दिनांक 15 जनवरी, 1994, शासनादेश संख्या 4343 पी / उ-पु-6 99-1198/ 99, दिनांक 3 दिसम्बर, 1999, शासनादेश संख्या 2624 पी / उ-पु-6- 2000-1198/ 99, दिनांक 29.11.2000 तथा शासनादेश संख्या 3382-पी / उ-पु-6- 2001-1198/ 99, दिनांक 9.11.2001 के अनुक्रम में मुझे यह रहने का निर्देश हुआ है कि राज्य विद्योपस्थानों की सन्वयपाल महोदय विशेष जोखिम पूर्ण कार्य में अग्रय ताहस एवं विरिष्ट सेवा प्रदर्शित करते हुए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों के पत्रादेशों को तत्त शासनादेश दिनांक 9 नवंबर, 2001 द्वारा अनुग्रह अनुग्रह पत्रादेश ए० 5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) को बढ़ाकर रु० 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त संशोधित अनुग्रह पत्रादेश दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 से तथा उक्त तिथि के पश्चात् होने वाली घटनाओं में देय होगी। उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें पत्रादेश में हैं।

3- यह आवेदन क्लिप्त विभाग के नगरपालीक संख्या सा-3-1182/सा-2005 दिनांक 5.12.2005 में प्राप्त उनकी राहगति से जारी किये जा रहे हैं।

माननीय,  
उप-निदेशक (पुलिस) लखनऊ  
(क.प. विभाग)  
पुलिस (पुलिस)

संख्या: 3590(1)पी.छ-पु-6-05, तथेतिनां

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- रामरत जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2- महासंचालक, (सेवा एवं कर्मचारी) प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- 4- जिला (आय-व्यय) अनुभाग-3 (5 प्रतियां)।
- 5- जिला (आय-व्यय) अनुभाग-2
- 6- जिला (व्यय-निबंधन) अनुभाग-12
- 7- मुक्त(पुलिस) अनुभाग-1/2/7/10
- 8- मुक्त(पुलिस सेवाएं) अनुभाग-1/2
- 9- मार्क पाईल।

आज्ञा सी,

कमल कर्ण सिंह (कमल कर्ण सिंह)  
विशेष सचिव।

